पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(कंपनी सचिवालय यूनिट)

सं.: 1:05:327:I:क.स. दिनांक : 02.03.2023

<u>परिपत्र सं.: 01/2023</u>

विषय: संबंधित पक्षकार लेन-देन की भौतिकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से डील करने संबंधी नीति

निदेशक मंडल ने 13.01.2023 को आयोजित अपनी 435वीं बैठक में 'संबंधित पक्षकार लेनदेन' पर मौजूदा नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधनों को मंजूरी दे दी। अब से संशोधित नीति, अर्थात 'संबंधित पक्षकार लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से डील करने संबंधी नीति' इस परिपत्र के अनुलग्नक-I के रूप में सूचना और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए संलग्न है।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि समय-समय पर सीएस यूनिट द्वारा अधिसूचित किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ किसी भी लेन-देन/व्यवहार करते समय उक्त नीति का पालन करें।

(मनीष अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं उप कंपनी सचिव

<u>वितरण</u>
सभी कार्यपालक निदेशक/सभी विभागाध्यक्ष - ई-मेल के माध्यम से

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

संबंधित पक्षकार लेन-देन की भौतिकता और संबंधित पक्षकार लेन-देन से डील करने संबंधी नीति

संबंधित पक्षकार लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से डील करने संबंधी नीति कंपनी अधिनियम, **2013** तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, **2015 (**"सूचीबद्धता विनियम") के यथा संशोधित लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है।

प्रयोज्यता

यह नीति पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके संबंधित पक्षकारों के बीच संबंधित पक्षकार लेनदेन पर लागू होगी।

परिभाषाएं

क) **"आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन"** का अर्थ है दो संबंधित पक्षकारों के बीच एक ऐसा लेन-देन जो इस तरह किया जाता है जैसे कि वे असंबंधित थे, ताकि हितों का कोई टकराव न हो।

ख) **"निदेशक मंडल" या "बोर्ड"** का अर्थ कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है।

ग) "कंपनी" का अर्थ है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)

घ) **"सरकारी कंपनी"** का अर्थ एक सरकारी कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) के तहत परिभाषित किया गया है।

ड.) **"भौतिक संबंधित पक्षकार लेनदेन" :** संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन को भौतिक माना जाएगा यदि लेनदेन / लेनदेनों को कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत या ₹1000 करोड़ से अधिक, जो भी कम हो, होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ मिलाकर के रूप में दर्ज किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, किसी संबंधित पक्षकार को ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में किए गए भुगतान को भौतिक माना जाएगा यदि लेन-देन को कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ मिलाकर के रूप में दर्ज किया जाना है।

"भौतिक संशोधन" : कंपनी के संबंध में संबंधित पक्षकार लेन-देन के भौतिक संशोधन का अभिप्राय है और इसमें शामिल है कि मौजूदा संबंधित पक्षकार लेनदेन में कोई संशोधन जिसमें लेखापरीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत मौजूदा सीमा के 30% का अंतर शामिल है, जैसा भी मामला हो।

च) **"नीति"** का अर्थ कंपनी के संबंधित पक्षकार लेन-देन की भौतिकता और संबंधित पक्षकार लेन-देन से डील करने संबंधी नीति से है।

छ**) "संबंधित पक्षकार"** का अर्थ है जैसा कि निम्नलिखित के तहत परिभाषित किया गया है:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76); या
ख. लागू लेखांकन मानक

साथ ही :
(क) कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा बनने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था; या
(ख) इक्विटी शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था:
(i) बीस प्रतिशत या उससे अधिक; या
(ii) दस प्रतिशत या उससे अधिक, (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी);
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के तहत किसी भी समय, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में या तो सीधे या लाभकारी ब्याज के आधार पर;

एक संबंधित पक्षकार माना जाएगा।

क. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (76) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के संदर्भ में संबंधित पक्षकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

(i) एक निदेशक या उसके संबंधी;
(ii) एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसके संबंधी;
(iii) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या उसके संबंधी भागीदार हैं;
(iv) एक निजी कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक या उसके संबंधी सदस्य या निदेशक हैं;
(v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक एक निदेशक होता है और अपने संबंधियों के साथ अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है;
(vi) कोई कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है;
(vii) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करता है;

बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा;

(viii) कोई भी कंपनी जो-

(क) ऐसी कंपनी की होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी; या
(ख) एक होल्डिंग कंपनी की एक सहायक कंपनी जिसके लिए यह एक सहायक कंपनी भी है;
(ग) एक निवेश कंपनी या कंपनी का उद्यम

स्पष्टीकरण : निवेश कंपनी या कंपनी के उद्यम का अर्थ एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसके कंपनी में निवेश करने से कंपनी उस कॉर्पोरेट निकाय की सहयोगी कंपनी बन जाएगी।

(ix) होल्डिंग कंपनी या उसके संबंधी के एक स्वतंत्र निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा एक निदेशक

(x) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जा सकता है।

ख. लागू भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 24 के तहत संबंधित पक्षकार इस प्रकार हैं:

एक संबंधित पक्षकार एक व्यक्ति या संस्था है जो उस संस्था से संबंधित है जो अपने वित्तीय विवरण तैयार कर रही है (इस मानक में 'रिपोर्टिंग संस्था' के रूप में संदर्भित)।

(क) एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का एक करीबी सदस्य एक रिपोर्टिंग संस्था से संबंधित है यदि वह व्यक्ति:

(i) रिपोर्टिंग संस्था का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;
(ii) रिपोर्टिंग संस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव है; या
(iii) रिपोर्टिंग संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या रिपोर्टिंग संस्था की मूल कंपनी का सदस्य है।

(ख) एक संस्था एक रिपोर्टिंग संस्था से संबंधित है यदि निम्न में से कोई भी स्थिति लागू होती है :

(i) संस्था और रिपोर्टिंग संस्था एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मूल कंपनी, सहायक कंपनी और सहयोगी सहायक कंपनी अन्य से संबंधित हैं)

(ii) एक संस्था दूसरी संस्था का सहयोगी या संयुक्त उद्यम है (या एक समूह के सदस्य का एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम है, जिसकी दूसरी संस्था सदस्य है)।

(iii) दोनों संस्थाएँ एक ही तृतीय पक्षकार के संयुक्त उद्यम हैं।

(iv) एक संस्था तीसरी संस्था का संयुक्त उद्यम है और दूसरी संस्था तीसरी संस्था की सहयोगी कंपनी है।

(v) संस्था या तो रिपोर्टिंग संस्था या रिपोर्टिंग संस्था से संबंधित संस्था के कार्मिकों के लाभ के लिए एक रोजगार-पश्चात हितलाभ योजना है। यदि रिपोर्टिंग संस्था स्वयं ऐसी योजना है, तो प्रायोजक नियोक्ता भी रिपोर्टिंग संस्था से संबंधित हैं।

(vi) संस्था को (क) में चिन्हित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है।

(vii) (क) (i) में चिन्हित व्यक्ति का संस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव है या वह संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (या संस्था की मूल कंपनी) का सदस्य है।

(viii) संस्था, या समूह का कोई भी सदस्य, जिसका वह हिस्सा है, रिपोर्टिंग संस्था या रिपोर्टिंग संस्था की मूल कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक सेवाएँ प्रदान करता है।

नोट: i अधिक जानकारी के लिए इंड एएस 'संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण' का संदर्भ लिया जा सकता है

ii. इस संबंध में जारी किए गए किसी भी बाद के संशोधन/घोषणा/लेखांकन मानक/व्याख्या को स्वचालित रूप से शामिल माना जाएगा और इसे संदर्भित किया जा सकता है।

iii., उक्त इंड एएस 24 के तहत अनुपालन आवश्यकताएं इस नीति के कार्य क्षेत्र में नहीं आती हैं।

ज) **"संबंधित पक्षकार लेनदेन" (आरपीटी)**: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संबंधित पक्षकार के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्थाएं शामिल हैं:

क. किसी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;

ख. किसी भी प्रकार की संपत्ति की बिक्री या अन्यथा निपटान, या खरीद;

ग. किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;

घ. किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;

ड. वस्तुओं, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;

च. कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसे संबंधित पक्षकार की नियुक्ति; और

छ. कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता को अंडरराइट करना।

इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, इसका अर्थ है संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण :

(i) एक ओर कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी और दूसरी ओर कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी की संबंधित पार्टी; या

(ii) एक ओर कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी, और दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी से संबंधित पक्षकार को लाभ पहुंचाना है,

इस बात की परवाह किए बिना कि क्या कोई मूल्य लगाया गया है और संबंधित पक्षकार के साथ एक "लेनदेन" को अनुबंध में एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को शामिल करने के लिए माना जाएगा।

बशर्ते कि निम्नलिखित संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं होंगे:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, अधिमानी आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गमन;

(ख) कंपनी द्वारा निम्नलिखित कॉर्पोरेट कार्रवाइयाँ जो सभी शेयरधारकों के लिए उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू/प्रस्तावित हैं :

i. लाभांश का भुगतान;
ii. प्रतिभूतियों का उपविभाजन या समेकन;
iii. राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी करना; और
iv. प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

झ) **"संबंधी"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और उसके तहत निर्धारित नियमों के तहत परिभाषित है :

किसी व्यक्ति के संदर्भ में, का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि-

(i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;
(ii) वे पति-पत्नी हैं; या
(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार संबंधित है:
(क) पिता (सौतेले पिता सहित
(ख) मां (सौतेली मां सहित)
(ग) बेटा (सौतेले बेटे सहित)
(घ) बेटे की पत्नी

(ड.) बेटी
(च) पुत्री का पति
(छ) भाई (सौतेले भाई सहित)
(ज) बहन (सौतेली बहन सहित)

इस नीति में उपयोग किए गए सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जब तक कि यहां परिभाषित नहीं किया गया है, क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए/जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों, लिस्टिंग विनियमों और लागू लेखांकन मानकों (संशोधित) के तहत क्रमशः उन्हें समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।

संबंधित पक्षकार लेनदेन के अनुमोदन की प्रक्रिया

क. लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन

I. कंपनी की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के लिए आवश्यक होगा:

1. सभी संबंधित पक्षकार लेन-देन और उसके बाद के भौतिक संशोधन
2. एक संबंधित पक्षकार लेनदेन जिसके लिए पीएफसी की सहायक कंपनी एक पक्षकार है लेकिन पीएफसी एक पक्षकार नहीं है, यदि इस तरह के लेनदेन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ एक साथ लिया गया हो:
    - कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर का 10%।
    - सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर का 10%, 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी।

हालाँकि, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी यदि सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 23 और 15(2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनियों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबंधित पक्षकार लेनदेन के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति पर्याप्त होगी।

इसके अतिरिक्त, पीएफसी और पीएफसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच लेनदेन किया जाता है, जिनके खातों को पीएफसी के साथ समेकित किया जाता है और शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए सामान्य बैठक में रखा जाता है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 188 में संदर्भित लेनदेन के अतिरिक्त अन्य है, तो लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

II. लेन-देन के मामले में, धारा 188 में संदर्भित लेन-देन के अतिरिक्त, और जहां लेखापरीक्षा समिति लेनदेन को मंजूरी नहीं देती है, वह बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी।

III. लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, केवल संबंधित पक्षकार के लेनदेन को ही मंजूरी देंगे।

IV. प्रस्तावित आरपीटी के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के लिए एजेंडा नोट में निम्नलिखित जानकारी शामिल की जाएगी:

क. प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, भौतिक शर्तें और विवरण;

ख. संबंधित पक्षकार का नाम और कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;

ग. प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (विशेष कार्यकाल निर्दिष्ट किया जाएगा);

घ. प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य;

ड. तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक समेकित टर्नओवर का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (और एक आरपीटी के लिए जिसमें सहायक कंपनी शामिल है, इस तरह के प्रतिशत की गणना स्टैंडअलोन आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर की जाती है, उसे अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा);

च. यदि लेन-देन कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम और निवेश से संबंधित है:

i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधि के स्रोत का विवरण;

ii) जहां ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होती है,

- ऋणग्रस्तता की प्रकृति;
- निधियों की लागत; और
- कार्यकाल;

iii) अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और चुकौती अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; और

iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।

छ. आरपीटी कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य;

ज. मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्षकार की रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर विश्वास किया गया हो;

i. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित टर्नओवर का प्रतिशत जिसे स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;

झ. अन्य कोई सूचना जो प्रासंगिक हो सकती है

V. लेखापरीक्षा समिति वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।

VI. इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पक्षकार लेनदेनों के लिए सर्वग्राही अनुमोदन भी प्रदान कर सकती है।

i. सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान करने के लिए निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मानदंड में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) लेखापरीक्षा समिति सर्वग्राही अनुमोदन के **औचित्य और आवश्यकता के संबंध में** स्वयं को संतुष्ट करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा अनुमोदन **कंपनी के हित में है;**

ख) सर्वग्राही अनुमोदन उन लेनदेनों के संबंध में लागू होगा जो प्रकृति में दोहराए जाते हैं;

ग) लेन-देन व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म्स लेंथ पर दर्ज करने का प्रस्ताव है। किसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षा समिति यह निर्धारित करने के लिए औचित्य/दस्तावेज़ मांग सकती है कि लेन-देन व्यापार के सामान्य क्रम में है और आर्म्स लेंथ पर है या नहीं।

घ) लेन-देन का अधिकतम कुल मूल्य जिसे एक वर्ष में सर्वग्राही मार्ग के तहत अनुमोदित किया जा सकता है, तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

ङ) प्रति लेन-देन का अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति दी जा सकती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के टर्नओवर के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

च) सर्वग्राही अनुमोदन कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटाने के संबंध में लेन-देन या किसी अन्य लेन-देन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि लेखापरीक्षा समिति आवश्यक समझती है, जो सर्वग्राही अनुमोदन के दायरे से बाहर है।

छ) लेखापरीक्षा समिति कम से कम तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष के लेन-देन के विवरण की समीक्षा करेगी जो दिए गए प्रत्येक सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसार किया गया है।

ii. सर्वग्राही अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

iii. अनुमोदन में निम्नलिखित का उल्लेख होगा :

क) संबंधित पक्षकार का(के) नाम।

ख) लेन-देन की प्रकृति।

ग) लेन-देन की अवधि।

घ) लेन-देन की अधिकतम राशि जो दर्ज की जा सकती है

ङ) सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन का सूत्र, यदि कोई हो।

च) कोई अन्य शर्त जो लेखापरीक्षा समिति उचित समझे

बशर्ते कि जहां संबंधित पक्षकार के लेन-देन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और ऊपर क) से ड.) के रूप में पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेन-देन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते उनका मूल्य प्रति लेनदेन ₹1 करोड़ से अधिक न हो।

VI. **ख. निदेशक मंडल का अनुमोदन**

I. बोर्ड की बैठक में एक संकल्प पारित करके कंपनी के निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी :

(क) व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म्स लेंथ के आधार पर संबंधित पक्षकार लेनदेन को छोड़कर सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित प्रकार के लेन-देन को भी बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना आवश्यक है :

(ख) सभी लेन-देन के लिए लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशें, धारा 188 में संदर्भित लेनदेन के अतिरिक्त, और जहां लेखापरीक्षा समिति लेनदेन को मंजूरी नहीं देती है,

(ग) संबंधित पक्षकार लेनदेन, के अनुमोदन की आवश्यकता है

II. आरपीटी के अनुमोदन की मांग करने वाली बोर्ड बैठक के एजेंडे में निम्नलिखित का खुलासा किया जाएगा-

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति;
(ख) अनुबंध की प्रकृति, अवधि और अनुबंध या व्यवस्था के विवरण;
(ग) अनुबंध या व्यवस्था की भौतिक शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो;
(घ) अनुबंध या व्यवस्था के लिए भुगतान या प्राप्त कोई अग्रिम, यदि कोई हो;
(ड.) मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक शर्तों को निर्धारित करने का तरीका, दोनों अनुबंध के भाग के रूप में शामिल हैं और अनुबंध के भाग के रूप में नहीं माने जाते हैं;
(च) क्या अनुबंध से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो उन कारकों पर विचार न करने के औचित्य के साथ उन कारकों का ब्यौरा दें जिन्हें नहीं माना गया है; और

(छ) प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

III. जहां कोई निदेशक किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन में रूचि रखता है, ऐसे निदेशक ऐसे लेनदेन से संबंधित संकल्प पर चर्चा और मतदान से दूर रहेंगे।

ग. शेयरधारकों का अनुमोदन

I. एक साधारण संकल्प के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और इसे बोर्ड की सिफारिशों के साथ पीएफसी शेयरधारकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत किया जाएगा :

i) सभी सामग्री संबंधित पक्षकार लेन-देन और बाद में सामग्री संशोधन और

ii) संबंधित पक्षकार लेन-देन जो आर्म्स लेंथ पर नहीं हैं या व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं हैं और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15(3) के तहत निर्धारित निम्नलिखित सीमाओं से परे हैं।

(*क*)	सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक की राशि
(*ख*)	सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटान करना या खरीदना;	कंपनी के निवल मूल्य का 10% या उससे अधिक की राशि
ग)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक की राशि
(*घ*)	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक की राशि
(वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ किए जाने वाले लेनदेन या लेनदेन के लिए सीमाएं लागू होंगी)		
(ङ.)	कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर संबंधित पक्षकार की नियुक्ति	मासिक पारिश्रमिक ₹2.5 लाख प्रति माह से अधिक
(च)	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता को अंडरराइट करना	कंपनी के नेटवर्थ के 1% से अधिक

(टर्नओवर या नेटवर्थ की गणना पिछले वित्तीय वर्ष की कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी।)

II. कोई भी संबंधित पक्षकार ऐसे संकल्पों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा चाहे वह संस्था किसी विशेष लेनदेन से संबंधित पार्टी हो या नहीं :

III. हालांकि, निम्नलिखित संबंधित पक्षकार लेनदेन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी :

i) जहां सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पार्टी है लेकिन कंपनी एक पार्टी नहीं है, यदि इन विनियमों के विनियम 15 के विनियम 23 और उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त संदर्भित सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति पर्याप्त होगी

ii) एक होल्डिंग कंपनी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखे गए हैं।

iii) दो सरकारी कंपनियों के बीच;

iv) सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच, जिनके खातों को ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किया जाता है और अनुमोदन के लिए सामान्य बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है।

IV. शेयरधारकों से आरपीटी के अनुमोदन की मांग करने वाली एक सामान्य बैठक की सूचना के साथ संलग्न किए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे : -

(क) संबंधित पक्षकार का नाम;

(ख) संबंधित निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का नाम, यदि कोई हो;

(ग) संबंधों की प्रकृति;

(घ) अनुबंध या व्यवस्था की प्रकृति, भौतिक शर्तें, मौद्रिक मूल्य और विवरण;

(ड.) लेखापरीक्षा समिति/निदेशक मंडल को उपलब्ध कराई गई जानकारी का सारांश

(च) प्रस्तावित लेनदेन कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य;

(छ) जहां लेन-देन किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए निवेश से संबंधित है, निधियों के स्रोत और निधियों की लागत के बारे में प्रकटीकरण को छोड़कर लेखापरीक्षा समिति को प्रदान किया गया विवरण (जैसा कि पीएफसी पर लागू नहीं है)।

(ज) एक बयान कि मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में भरोसा किया जाता है, तो शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ;

(i) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित टर्नओवर का प्रतिशत जिसे स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;

(ii) प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

प्रकटीकरण

संबंधित इकाइयां तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर अनुलग्नक I में तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर किए गए सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन का सारांश तैयार करेंगी (अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप) और प्राप्त अपेक्षित अनुमोदनों की प्रति के साथ प्रत्येक तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर 7 दिनों के भीतर कंपनी सचिव को प्रस्तुत करें ।

कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक संबंधित पक्षकार लेनदेन से संबंधित सभी खुलासे तदनुसार किए जाएंगे।

इस नीति के अंतर्गत अस्वीकृत संबंधित पक्ष लेनदेन

ऐसी स्थिति में जब कंपनी को किसी संबंधित पक्षकार के साथ लेन-देन के बारे में पता चलता है, जिसे इस नीति के अनुसार इसकी समाप्ति से पहले अनुमोदित नहीं किया गया है, तो इस मामले की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाएगी। लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्षकार लेनदेन के संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी, और संबंधित पक्षकार लेनदेन के अनुसमर्थन, संशोधन या समाप्ति सहित कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी। लेखापरीक्षा समिति इस नीति के तहत लेखापरीक्षा समिति को ऐसे संबंधित पक्षकार लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच करेगी और ऐसी कोई भी कार्रवाई करेगी जो वह उचित समझे।

किसी भी मामले में, जहां लेखापरीक्षा समिति बिना किसी अनुमोदन के शुरू किए गए संबंधित पक्षकार के लेन-देन की पुष्टि नहीं करने का निर्णय लेती है, लेखापरीक्षा समिति, उचित रूप में, लेन-देन को बंद करने या अनुमोदन की मांग सहित, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं, अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकती है। संबंधित पक्षकार या कंपनी, जैसा भी मामला हो, को चूककर्ता व्यक्ति (जैसा कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा तय किया जा सकता है) द्वारा मुआवजे का भुगतान, संबंधित पक्षकार लेनदेन की किसी भी समीक्षा/अनुमोदन के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति के पास इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को संशोधित करने या माफ करने का अधिकार है

सीमा अवधि

लिस्टिंग विनियमों/कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य सांविधिक अधिनियमों, नियमों में किसी भी संशोधन/संशोधन की स्थिति में या इस नीति के प्रावधानों और लिस्टिंग विनियमों/कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य सांविधिक के बीच विरोध के मामले में अधिनियम, नियम, फिर, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम / लिस्टिंग विनियम या अन्य सांविधिक अधिनियम, नियम, जैसा भी मामला हो, इस नीति पर प्रबल होंगे और सभी संबंधितों द्वारा तदनुसार पालन किया जाएगा।

नीति समीक्षा

निदेशक मंडल द्वारा इस नीति की प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जा सकती है।

****

अनुलग्नक I

छह महीने की अवधि के लिए संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण																		
										संबंधित पक्षकार लेनदेन का अतिरिक्त प्रकटीकरण - केवल तभी लागू होता है जब संबंधित पक्षकार लेनदेन ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या कंपनी/सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए निवेश से संबंधित हो। इन विवरणों को केवल एक बार रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रकट करने की आवश्यकता है जब ऐसा लेनदेन किया गया था।							
क.सं.	लेन-देन करने वाली पार्टी (कंपनी/सहायक) का विवरण		प्रतिपक्ष का ब्यौरा			संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकार	लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्षकार लेनदेन का मूल्य	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लेन-देन का मूल्य (करोड़ रुपए में)	यदि लेन-देन के परिणामस्वरूप पैसा किसी भी पक्ष को देय हो		यदि ऋण लेने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होती है अंतर-कॉर्पोरेट जमा अग्रिम या निवेश			अंतर-कॉर्पोरेट जमा अग्रिमों या निवेशों के ऋणों का विवरण				
	नाम	पैन	नाम	पैन	कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के साथ प्रतिपक्ष का संबंध				प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	ऋणग्रस्तता की प्रकृति (ऋण/ऋण जारी करना/कोई अन्य आदि)	लागत	कार्यकाल	प्रकृति (ऋण/ अग्रिम/इंटर कॉरपोरेट जमा/निवेश	ब्याज दर (%)	कार्यकाल	सुरक्षित / असुरक्षित	उद्देश्य जिसके लिए निधियों के अंतिम प्राप्तकर्ता द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा (एंड्यूजेज)

टिप्पणियाँ :

1. **रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए गए सभी लेनदेनों के लिए इस प्रारूप में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई नया संबंधित पक्षकार लेनदेन न होने पर भी मौजूदा संबंधित पक्षकार लेनदेन के लिए प्रतिबद्धताओं सहित प्रारंभिक और अंतिम शेष राशि का खुलासा किया जाना है।**

2. **जहां समेकित इकाई के सदस्यों (कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच या सहायक कंपनियों के बीच) के बीच कोई लेनदेन किया जाता है, तो इसकी सूचना एक बार दी जा सकती है।**

3. **सूचीबद्ध बैंकों को सूचीबद्ध बैंकों द्वारा किए गए या दिए गए ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से जुड़े संबंधित पक्षकार लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

4. **31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष वाली कंपनियों के लिए, यह जानकारी 30 सितंबर को समाप्त छह महीने और 31 मार्च को समाप्त छह महीने के लिए प्रदान की जानी है। कंपनियों के वित्तीय वर्ष अन्य महीनों में समाप्त हो रहे हैं, छह महीने की अवधि तदनुसार लागू होगी।**

5. **एक पक्षकार के साथ प्रत्येक प्रकार के संबंधित पक्षकार लेनदेन (उदाहरण के लिए माल/सेवाओं की बिक्री, सामान/सेवाओं की खरीद या इसमें ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश शामिल है) को अलग से प्रकट किया जाएगा और कोई क्लबिंग या एक ही प्रकार के लेन-देन की नेटिंग नहीं होनी चाहिए। तथापि, रिपोर्टिंग अवधि के लिए समान प्रकार के समान प्रतिपक्ष के साथ लेन-देन एकत्र किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही पार्टी के साथ बिक्री लेनदेन को रिपोर्टिंग अवधि के लिए एकत्र किया जा सकता है और खरीद लेनदेन को भी इसी तरह से प्रकट किया जा सकता है। खरीद और बिक्री के लेन-देन के लिए कोई नेटिंग ऑफ नहीं होना चाहिए। इसी तरह, एक ही प्रतिपक्ष को दिए गए और उससे प्राप्त किए गए ऋणों को बिना किसी नेटिंग ऑफ के अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।**

6. **बहु-वर्षीय संबंधित पक्षकार लेनदेन के मामले में :**

क. **लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित ऐसे संबंधित पक्षकार लेनदेन का कुल मूल्य "लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन का मूल्य" कॉलम में प्रकट किया जाएगा।**

ख. **रिपोर्टिंग अवधि में किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन का मूल्य "रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन का मूल्य" कॉलम में रिपोर्ट किया जाएगा।**

7. **"लागत" कंपनी के लिए ऋण ली गई निधियों की लागत को संदर्भित करता है।**

8. **पैन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।**

9. **सभी शेयरधारकों/जनता के लिए समान रूप से लागू/प्रस्तावित शर्तों पर संबंधित पक्षों के साथ किए गए बैंकों/एनबीएफसी द्वारा सावधि जमा की स्वीकृति जैसे लेनदेन भी रिपोर्ट किए जाएंगे।**